# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री बृज मोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : पाली/आदेश/11/2015

1. बख्तावरसिंह
2. मंगलसिंह

पुत्रगण गुलाबसिंहजी जातिगण राजपूत निवासीगण नौवी तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

..... अपीलाण्ट्स

बनाम

राज. राज्य जरिये तहसीलदार, सुमेरपुर

..... रेस्पोडेण्ट

उपस्थिति :–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित।
2. सरकारी पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 11/03/2020

1. उपरोक्त अपील धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम के तहत् अपीलार्थी द्वारा आदेश क्रमांक प्र.गां.के संग/राजस्व/2013/496 दिनांक 9.2.13, जिसे उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर द्वारा पारित कर ग्राम नोवी के खसरा नम्बर 860 रकबा 0.28 हैक्टेयर भूमि को सरकारी कार्यालयों के भवनों हेतु राज. भू–राजस्व (संस्थाओं, स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालय, धर्मशाला, सार्वजनियक उपयोग भूमि आवंटन नियम) नियम 1963 के तहत आरक्षित की गई, के विरुद्ध पेश की गई, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिए सम्मन तलब किया गया।

2. अपीलाण्ट्स अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि ग्राम नौवी में खसरा नंबर 775 व 776 स्थित है। उपरोक्त भूमि के व रास्ते के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बीच में एक पट्टीनुमा भूमि खसरा नंबर 860 रकबा 0.28 हैक्टेयर भूमि सरकारी स्थित थी, जिस पर अपीलाण्ट्स का पूर्वजों के समय से लगातार कब्जा है एवं काश्त कर रहे हैं। प्रमाण में अपील मीमो के साथ खसरा परिवर्तन गिरदावरी की नकलें पेश की है, जिससे अपीलाण्ट्स का कब्जा होना साबित है। अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि व रास्ते के बीच में उपरोक्त भूमि स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के रूप में स्थित है, जिसे अपीलाण्ट्स नियमन/आवंटन करवाने के अधिकारी है। राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों अनुसार उपरोक्त भूमि को प्रार्थी आवंटन/नियमन करवाने का पूर्णरूपेण अधिकारी है। जैर निगरानी आदेश द्वारा उपरोक्त भूमि को आरक्षित किए जाने से और उस पर किसी प्रकार का निर्माण होने से अपीलाण्ट्स अपनी खातेदारी भूमि में नहीं आ–जा सकेंगे ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार योग्य है, साथ ही अपील प्रस्तुति की ईजाजत के संबंध में निवेदन किया कि अपील प्रस्तुति की ईजाजत नहीं दी जाती है तो अपीलाण्ट्स को जोर–जबरदस्ती बेदखल कर दिया जाएगा, बिना अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किए अपीलाधीन आदेश पारित किया है इसलिए अपीलाण्ट्स व्यथित व प्रभावित पक्षकार है। इसके अलावा धारा 5 मयाद अधिनियम के संबंध में निवेदन किया कि बिना किसी प्रकार की उद्घोषणा जारी किए, बिना कोई आवेदन आमंत्रित किए चोरी–छिपे तरीके से उक्त आदेश पारित किया है, जिसके आधार पर पटवारी द्वारा दिनांक 8.7.15 को कब्जा छोडने की धमकी दिए जाने व मौके पर आकर नापचौक किए जाने पर हुई, जिस पर नकलों हेतु दिनांक 9.7.15 को आवेदन किया और 13.7.15 को नकलें प्राप्त हुई, जिस पर उपरोक्त अपील पेश की गई है, जिस पर अपील अंदर मयाद शुमार की जाकर अपील प्रस्तुति की ईजाजत प्रदान करते हुए अपील स्वीकार किए जाने का निवेदन किया, साथ ही अपने तर्कों के समर्थन में 2011(2) आर.आर.टी. पेज 1424, 1001, 2017(2) आर.आर.टी. पेज 1183, 2016(1) आर.आर.टी. पेज 694, 1998 डी.एन.जे. पेज 533 के न्यायिक दृष्टांत पेश किए

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

और उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में अपील को स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

3. सरकारी पैरोकार ने निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश विधिवत् पारित किया है एवं भूमि को राजकीय भवनों हेतु आरक्षित किया है, जिससे अपीलाण्ट्स को कोई क्षति नहीं हो रही है। अपीलाण्ट्स का अवैध अतिक्रमण है, जिसे हटाया जाना न्यायोचित्त है इसलिए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

4. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील प्रस्तुति की ईजाजत के आवेदन एवं मयाद अधिनियम के आवेदन को निर्णित किया जाना न्यायोचित्त है। दोनों ही प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अपीलाण्ट्स द्वारा पेश किए गए हैं, जिसका कोई जवाब रेस्पोडेण्ट द्वारा नहीं दिया गया है, न ही खण्डन में कोई शपथ–पत्र ही पेश किया गया है। अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि और रास्ते के बीच की छोटी पट्टी को अपीलाधीन आदेश द्वारा आरक्षित किया गया है, जिस पर अपीलाधीन आदेश के पूर्व से अपीलार्थी का कब्जा होना पी–14 से स्पष्ट है ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुति की ईजाजत दिया जाना न्यायोचित्त है, साथ ही मयाद आवेदन के संबंध में अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने, बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए ही अपीलाधीन आदेश पारित किए जाने से अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकार कर अपील को अंदर अवधि शुमार किया जाना न्यायोचित्त है।

5. मैरिट पर भी अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील पत्रावली के संलग्न अपीलाण्ट्स द्वारा उपरोक्त भूमि पर अपने कब्जे के संबंध में खसरा परिवर्तन निर्धारण की नकलें पेश की है और सरकारी पैरोकार ने उपरोक्त भूमि पर अपीलाण्ट्स का अतिक्रमण होना स्वीकार किया है, जिससे यह स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि विवादरहित नहीं है अर्थात् विवादित है। विवादित भूमि को आवंटन

एवं आरक्षण करने से बचना चाहिए अथवा आवंटन एवं आरक्षण के पूर्व संबंधित अतिक्रमी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर आवंटन/नियमन का अधिकारी हो तो की जानी चाहिए और नहीं हो तो बेदखल करके ही अन्य प्रयोजनार्थ आवंटन/आरक्षित की जा सकती है। उपरोक्त अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात् अनुसार अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 775 व 776 स्थित है। अपील के साथ प्रस्तुत नक्शा ट्रेस व जमाबंदी से इसकी पुष्टि होती है। नक्शा ट्रेस अनुसार अपीलाधीन आदेश द्वारा आरक्षित की गई भूमि खसरा नंबर 860 अपीलाण्ट्स के खातेदारी भूमि के और रास्ते के बीच में पट्टी के रूप में स्थित है। उक्त भूमि आरक्षित होने व आवंटन होने से अपीलाण्ट्स अपनी खातेदारी भूमि में आ–जा भी नहीं सकते हैं और छोटी पट्टी को सर्वप्रथम चिपता खातेदार ही आवंटन/नियमन करवाने का अधिकारी रहता है। इस संबंध में अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत पूर्णरूपेण चस्पा होने से अपील स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन आदेश क्रमांक प्र.गां.के संग/राजस्व/2013/496 दिनांक 9.2.13, जिसे उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर द्वारा पारित कर ग्राम नोवी के खसरा नम्बर 860 रकबा 0.28 हैक्टेयर भूमि को सरकारी कार्यालयों के भवनों हेतु राज. भू–राजस्व (संस्थाओं, स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालय, धर्मशाला, सार्वजनियक उपयोग भूमि आवंटन नियम) नियम 1963 के तहत आरक्षित की गई, को निरस्त किया जाता है, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय एवं रेस्पोडेण्ट को यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि खसरा नंबर 860 को राजस्व परिपत्र/नियमों के तहत एवं उपरोक्त निर्णय में वर्णित न्यायिक दृष्टांतों के तहत छोटी पट्टी के रूप में अपीलाण्ट्स को आवंटन/नियमन की जावें और जब तक नियमन/आवंटन नहीं की जाती है, तब कि अपीलाण्ट्स को मौके से बेदखल नहीं किया जावें,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

साथ ही अपीलाण्ट्स के खातेदारी भूमि खसरा नंबर 775 व 776 में आने–जाने, उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार का दखल नहीं किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 11/03/2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली (राज.)